भायंदर सन

BHAYANDER SUN

PRGI No. : MHHIN/26/A2219 website : bhayandersun.co.in Email : bhayandersun@gmail.com

वर्ष : 1 * अंक : 12 * दि. 16 से 30 नवंबर 2026 * संपादक : संजय डी. राय * ठाणे * पृष्ठ : 4 * मूल्य : 5 रुपये

मनपा सभागृह में नागरिकों पर पाबंदी का मामला

विपक्ष ने सत्ताधारी भाजपा को घेरा, नेता प्रतिपक्ष ने फाड़ी नियमावली



भायंदर : मीरा-भायंदर महानगरपालिका की महासभा में शुक्रवार को आम नागरिकों के प्रवेश पर लगाई गई कड़ी पाबंदियों को लेकर विपक्ष ने सत्ताधारी भाजपा और प्रशासन को जमकर घेरा। नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन का आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष आफरीन सय्यद ने प्रशासन द्वारा तैयार की गई विशेष नियमावली (एसओपी) को सभागृह में ही फाड़कर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। नेता प्रतिपक्ष आफरीन सय्यद (कांग्रेस) ने बिना किसी ठोस अध्ययन के आम नागरिकों पर पाबंदियां थोपने का आरोप लगाते हुए सभागृह के सामने ही नियमावली की प्रति फाड़ दी, जिससे सदन का माहौल गर्मा गया। विपक्ष का आरोप है कि पिछली महासभा की घटनाओं की आड़ लेकर अब आम जनता को सभागृह की कार्यवाही देखने से रोका जा रहा है। गौरतलब है कि १६ अक्टूबर को हुई महासभा में भारी हंगामा हुआ था, जिसमें सत्ताधारी भाजपा के नगरसेवकों पर नागरिकों और पत्रकारों के साथ मारपीट करने के गंभीर आरोप लगे थे। उस समय कुछ नगरसेवकों ने दर्शक दीर्घा में बैठे नागरिकों पर बिना अनुमति वीडियोग्राफी करने का आरोप लगाया था। इसी विवाद के बाद 13 नवंबर की स्थगित महासभा से ठीक चार दिन पहले प्रशासन ने यह विशेष नियमावली लागू कर दी। शुक्रवार को महासभा के दौरान महानगरपालिका प्रशासन ने सभागृह के बाहर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए थे। दर्शक दीर्घा में सीमित जगह का हवाला देते हुए नागरिकों के लिए पास अनिवार्य कर दिए गए थे और अंदर जाने से पहले पांच अलग-अलग स्थानों पर पास की जांच की जा रही थी। इसके साथ ही नागरिकों के प्रवेश पर कई अन्य शर्तें भी थोप दी गई थीं। विपक्षी नगरसेवकों ने इसे जनता को सदन से दूर रखने की साजिश करार देते हुए कड़ा ऐतराज जताया। कांग्रेस नगरसेवक अनिल सावंत ने सीधे तौर पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस नियमावली का कोई कानूनी आधार ही नहीं है। वहीं, नगरसेविका शर्मिला बगाजी ने सत्तापक्ष और प्रशासन को घेरते हुए कहा कि महासभा को विश्वास में लिए बिना ही मनमाने ढंग से यह नियमावली तैयार की गई है। विपक्ष के तीखे तेवरों को देखते हुए भाजपा की महापौर डिंपल मेहता ने बचाव करते हुए कहा कि प्रशासन ने पूरा अध्ययन करने के बाद ही यह नियमावली बनाई है और आवश्यकता पड़ने पर इसमें सुधार किया जाएगा। हालांकि, महापौर का यह आश्वासन विपक्ष को शांत नहीं कर सका।

एमबीएमसी कराएगी अब 29 करोड़ का सर्वे

टैक्स के दायरे में आएंगे सभी अवैध व अतिरिक्त निर्माण

भाईंदर : मीरा भाईंदर मनपा ने अपनी आय बढ़ाने और टैक्स चोरी पर लगाम लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया है. अब तक प्रॉपर्टी टैक्स के दायरे से बाहर रहे सभी इमारतों और संपत्तियों के अतिरिक्त निर्माण को टैक्स के दायरे में लाया जाएगा. इसके लिए संबंधित संपत्ति मालिकों को 31 मार्च 2027 तक कर विभाग में आवेदन करने का अवसर दिया गया है. 1 अप्रैल 2027 से ऐसी संपत्तियों पर नियमानुसार टैक्स लगाया जाएगा. मनपा की स्थगित आमसभा में भाजपा नगरसेविका ज्योत्सना हसनाले ने इस संबंध में प्रस्ताव पेश किया, जिसे बहुमत से मंजूरी मिल गई. शहर में बड़ी संख्या में ऐसे नए निर्माण हैं, जिनका संपत्ति कर निर्धारण नहीं हुआ है. वहीं, कई पुरानी संपत्तियों में अतिरिक्त निर्माण और विस्तार किए जाने के बावजूद उनका बढ़ा हुआ टैक्स नहीं लगाया जा रहा है. इससे मनपा को राजस्व का नुकसान हो रहा है.

29 करोड़ के सर्वे ठेके पर कांग्रेस का विरोध

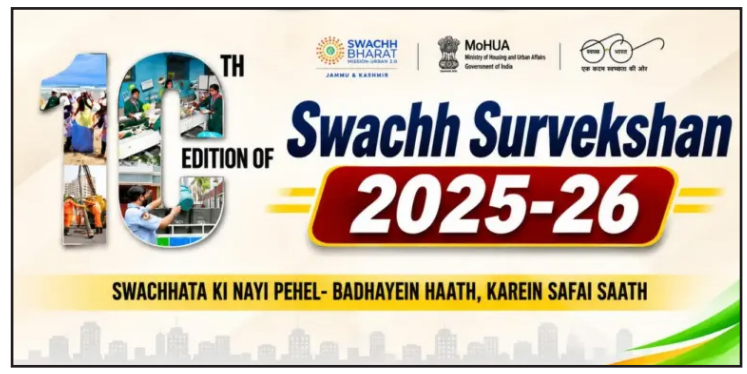
इन संपत्तियों की पहचान के लिए ठेकेदार नियुक्त करने का प्रस्ताव भी सदन में चर्चा का विषय बना. कांग्रेस नगरसेवक अनिल सावंत ने इसका विरोध करते हुए आरोप लगाया कि पहले नियुक्त ठेकेदार ने कुछ अतिरिक्त संपत्तियों का खुलासा नहीं किया और संपत्ति मालिकों के साथ मिलीभगत कर वित्तीय समझौते किए. उन्होंने कहा कि जब पहले से सर्वे का ठेका दिया जा चुका है, तो नए ठेकेदार की नियुक्ति पर 29 करोड़ रुपये खर्च करना मनपा के लिए आर्थिक नुकसानदायक होगा.

कर्मचारियों की कमी का दिया हवाला

वहीं, उपमहापौर ध्रुवकिशोर पाटिल ने ठेकेदार की नियुक्ति का समर्थन करते हुए कहा कि मनपा में कर्मचारियों की कमी के कारण इतने बड़े पैमाने पर संपत्तियों का सर्वे समय पर पूरा करना मुश्किल है. उन्होंने स्पष्ट किया कि ठेकेदार को अलग से कोई निश्चित राशि नहीं दी जाएगी, बल्कि उसके द्वारा खोजी गई संपत्तियों के मूल्यांकित कर योग्य मूल्य का लगभग 10 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा. ठेकेदार की नियुक्ति के विरोध में कांग्रेस की ओर से प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद महापौर डिंपल मेहता ने नगर सचिव दिनेश कांगुडे को ज्योत्सना हसनाले के प्रस्ताव पर भी मतदान कराने का निर्देश दिया. मतदान में हसनाले का प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया.

करोड़ों का खर्च किया फिर भी स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछडी मिरा भाईंरदर मनपा!

भाईंदर : केंद्र सरकार के 'स्वच्छ सर्वेक्षण २०२५-२६ पुरस्कारों में मीरा-भायंदर महानगरपालिका को बड़ा झटका लगा है। पिछले सर्वेक्षण में 3 से १० लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देशभर में पहला स्थान हासिल करने वाला शहर इस बार अपनी साख बचाने में पूरी तरह से नाकाम रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जारी ताजा नतीजों में नवी मुंबई ने देश में पहला, सूरत ने दूसरा और विजयवाड़ा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। वहीं, 3 से १० लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में उज्जैन पहले और चंडीगढ़ दूसरे स्थान पर रहा। गौरतलब है कि स्वच्छ सर्वेक्षण २०२४-२५ में मीरा-भायंदर ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश के हजारों शहरों को पछाड़कर अपनी श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया था और राष्ट्रपति पुरस्कार जीता था। इसके साथ ही शहर को '५ स्टार कचरा मुक्त शहर' और 'वाटर प्लस' का दर्जा भी मिला था। स्वच्छता की रैंकिंग सुधारने के लिए मनपा प्रशासन ने एक अंतरराष्ट्रीय संस्था को सलाहकार नियुक्त किया है। इस कंपनी को हर महीने करीब लाखों रुपये का भारी-भरकम भुगतान किया जा रहा है। इसके बावजूद प्रदर्शन में आई गिरावट ने सलाहकार कंपनी की कार्यप्रणाली और प्रशासन के नियोजन को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है।



प्रशासनिक उदासीनता और सुझावों की अनदेखी का नतीजा

सामाजिक कार्यकर्ताओं के अनुसार, पुरस्कार और रैंकींग आते-जाते रहते हैं और हर बार हर किसी का जीतना संभव नहीं होता। स्वच्छ सर्वेक्षण में मीरा-भायंदर की यह गिरावट भले ही निराशाजनक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि प्रशासन अपनी गलतियों से सबक ले और उनमें सुधार करे। हालांकि, जमीनी हकीकत यह है कि मनपा प्रशासन ने नागरिकों और जानकारों की रचनात्मक आलोचना तथा अच्छे सुझावों पर कभी गंभीरता से संज्ञान नहीं लिया, और यही रवैया आज उसकी इस बड़ी विफलता का मुख्य



कारण बना है।

रजत जयंती वर्ष में लगा झटका

ज्ञात हो कि इस वर्ष फरवरी में हुए चुनावों के बाद भाजपा ने महानगरपालिका में एकतरफा सत्ता हासिल की है। इसके साथ ही, मनपा प्रशासन अपना रजत जयंती वर्ष भी मना रहा है, जिसके तहत शहर भर में स्वच्छता और सौंदर्यीकरण के कई विशेष अभियान चलाए गए थे। ऐसे में पूर्ण बहुमत वाली सत्ता और रजत जयंती वर्ष के विशेष आयोजनों के बावजूद रैंकिंग में आई इस गिरावट से स्थानीय नागरिकों में खासी नाराजगी देखी जा रही है।



संपादकीय

चुभती महंगाई

बीते माह देश में खाने-पीने की वस्तुओं की कीमतों में उछाल से महंगाई दो साल के ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। यह स्पष्ट है कि देश के केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति महंगाई को काबू में रखने में विफल रही है। चिंता की बात है यह महंगाई दर रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित छह फीसदी की तय अधिकतम सीमा को पार कर गई है। इसके साथ ही दिसंबर में होने वाली मौद्रिक नीति निर्धारण करने वाली कमेटी की बैठक में नीतिगत ब्याज दर में एक और बढ़ोतरी की आशंका बलवती हुई है। उल्लेखनीय है कि अक्तूबर में भी आरबीआई ने रेपो रेट में 25 आधार अंक का इजाफा किया था। पिछले एक साल से लगातार बढ़ रही खुदरा महंगाई का दो साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचना बताता है कि लोगों की क्रय शक्ति क्षमता में कमी आई है। जाहिर है इसका दबाव घरेलू बजट पर पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की तरफ से गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, बीते माह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई के आधार पर खुदरा महंगाई दर 6.09 प्रतिशत तक जा पहुंची है। जिसके चलते अगले माह की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो रेट बढ़ने की संभावना फिर प्रबल हो गई है। आशंका है कि इससे उपभोक्ताओं के घर व वाहन आदि के लोन की मासिक किस्ते लंबे समय तक ऊंची बनी रह सकती हैं। उल्लेखनीय है कि खाद्य पदार्थों की कीमतों, जिनकी मूल्य सूचकांक निर्धारण में चालीस फीसदी की हिस्सेदारी होती है, की महंगाई बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। देश में सब्जियां, दालें और किराना का अन्य सामान महंगा हो गया है। वहीं अनाज, तिलहन और चीनी की कीमतों पर भी दबाव बना हुआ है। यहां उल्लेखनीय है कि अक्तूबर माह में खाद्य महंगाई दर बढ़कर 8.94 फीसदी हो गई है। यही वजह है कि लोगों को आशंका है कि उनके लिये आने वाली सर्दियों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यूं तो महंगाई आजकल, वैश्विक उथल-पुथल और आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने के कारण विश्वव्यापी समस्या हो गई है। खासकर रूस व यूक्रेन तथा खाड़ी में जारी संघर्ष के चलते पेट्रोलियम पदार्थों व उनसे बनने वाले उत्पादों की आपूर्ति बाधित हुई है। लेकिन भारत में बढ़ती महंगाई के कारणों में मौसम की संवेदनशीलता व मुद्रास्फीति भी शामिल है। उल्लेखनीय है कि देश में घरेलू महंगाई दर लगातार बारहवें महीने बढ़ी है। खाने-पीने की चीजों के अलावा, इसमें परिवहन से जुड़े खर्च, कपड़े,आवास और भोजन से जुड़ी सेवाओं का भी योगदान रहा है। हालांकि, खाड़ी संघर्ष में स्थितियां सामान्य होने की ओर बढ़ने के बाद तेल की कीमतों में कुछ गिरावट आई है। यद्यपि, सीधे तौर पर उपभोक्ताओं को इसका लाभ न मिला हो,लेकिन दामों में कमी अपरोक्ष रूप से कुछ राहत देने वाली जरूर है। इसके बावजूद महंगाई का दबाव बना रहेगा। हालांकि, आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि मुख्य महंगाई दर अभी अपने चरम पर नहीं पहुंची है, जो कमजोर और असमान मानसून के असर को दर्शाती है। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि वैश्विक स्तर पर खाने-पीने की चीजों की बढ़ती कीमतों ने घरेलू बाजार पर दबाव बढ़ा ही दिया है। निस्संदेह, यह चिंताजनक स्थिति जरूर है, लेकिन कुल मिलाकर तस्वीर में कुछ उम्मीद भी नजर आ रही है। वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में जीडीपी का 7.7 रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसमें दो राय नहीं कि आम आदमी के लिये यह स्थिति कष्टकारी हो सकती है। एक आम उपभोक्ता के लिये बढ़ती महंगाई के मायने जरूरी चीजों पर खर्च कम करना हो सकता है। ऐसे में कीमतों को स्थिर रखने की जरूरत और भी बढ़ जाती है। कालाबाजारी करने वालों और कृत्रिम रूप से महंगाई बढ़ाने वाले तत्वों पर नकेल कसना बेहद जरूरी है। आज की बदलती स्थिति पर नजर रखने और लोगों का बोझ कम करने के लिये आपातकालीन कदम उठाने की सख्त जरूरत है। इसके साथ ही सरकार के लिये भी जरूरी है कि वह मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिये प्रशासनिक व मौद्रिक उपायों की दिशा में आगे बढ़े।

विकसित देश जिम्मेदारी निभाने को आगे आएं

धरती गर्म हो रही है। धरती के तापमान में 1850 से 1900 के बीच की अवधि की तुलना में 1.47 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो गई है। स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट, जिसे डब्ल्यूएमओ ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन, तुर्किए में जारी किया है, वह आने वाले महासंकट की ओर इशारा कर रही है। पिछले चार वर्षों का इतिहास देख लीजिए, हर वर्ष मौसम गर्म हो रहा है। वर्ष 2024 को इस सदी के इतिहास का सबसे गर्म साल कहा गया था, लेकिन 2026 का मौसम भी इसके आसपास है। यह धरती पर जीवन के लिए अज्ञात कठिनाइयां पैदा कर सकता है।

भारत में 2026 बहुत गर्म वर्ष रहा। बेशक, तापमान की यह उछाल 2026 को जहां एक गर्म वर्ष बना देती है, वहीं बारिश को बादल फटने और बाढ़ आने में तब्दील करके एक आपदा भी खड़ी कर देती है। उधर, हिमालय की चोटियों पर ग्लेशियरों की उम्र कम हो गई है। इसका कारण ग्लोबल वार्मिंग बताया जा रहा है। इससे ग्लेशियर जल्दी पिघल जाते हैं और वहां से पानी नीचे की ओर बहकर जलप्रलय की तबाही पैदा कर देता है। भारत ने इस वर्ष इसे भोगा। इसका सीधा





नतीजा यह हुआ कि बुआई के लिए धरती कम हो गई, फसलों की गुणवत्ता कम हुई, जिससे अनाज के भंडारण में कमी पैदा हो गई। यही स्थिति अब गेहूं की फसल की न हो, जिसे हम बोने जा रहे हैं। इसलिए इस असंतुलन को पैदा करने वाले कारणों की थोड़ी पड़ताल कर लें।

महासागरों का तापमान लगातार कई वर्षों से बढ़ रहा है और इस वर्ष अल नीनो के प्रभाव ने इसे और बढ़ाया। भारत में कृषि तो पहले ही मानसून का जुआ थी, अब मौसम का जुआ बन गई है। पहला बड़ा कारण कार्बन उत्सर्जन और ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन बताया जा रहा था। अब इसमें समुद्री लहरों का बढ़ता हुआ तापमान भी शामिल हो गया है। अल नीनो से पैदा संकट भी सामने आ गया। यह एक बहुत खर्चीला युद्ध है। तीसरी दुनिया के देशों ने इसके संघर्ष के लिए भारत की ओर देखना ही था, लेकिन अमेरिका और अन्य पश्चिमी समृद्ध देशों ने भी इसकी जिम्मेदारी भारत पर छोड़ने का प्रयास किया। भारत वैश्विक नेतृत्व संभालने के लिए तैयार है, लेकिन इस संघर्ष के लिए जो लंबी-चौड़ी राशि खर्च होनी है, वह कहां है? ऐन मौके पर समृद्ध देश तो पीछे हट गए कि हमारा तो औद्योगिक क्रांति का युग कब का खत्म हो गया, अब आप लोग औद्योगिक क्रांति की राह पर हैं। कार्बन से लेकर अतिरिक्त ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन आपके देशों से हो रहा है, इसे शून्य भी आप ही कीजिए। आज नवीकरणीय ऊर्जा, बिजली ग्रिड, ऊर्जा भंडारण और उभरती स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के जरिये नए प्रदूषण से निपट लिया जाए, जो समुद्र और धरती से पैदा हो रहा है, तो 22.7 लाख करोड़ डॉलर के निवेश के अवसर पैदा हो सकते हैं।

दरअसल, सवाल तेज आर्थिक वृद्धि और कार्बन उत्सर्जन में कमी के बीच संतुलन पैदा करने का है। इसलिए शेष नहीं, बल्कि समस्त राशि की व्यवस्था करने में विदेशी निवेशकों और अंतरराष्ट्रीय वित्त बाजारों को अपनी भूमिका निभाने के लिए आगे आना होगा। इस अभियान को गति देने से लेकर पूरा करने तक में साढ़े छह लाख करोड़ डॉलर की कमी पड़ रही है। इसे अंतरराष्ट्रीय पूंजी से पूरा नहीं करेंगे, तो कैसे होगा?

परंतु धरती का सत्य यह है कि दुनिया के सबसे धनी देश अमेरिका सहित अन्य सभी पश्चिमी समृद्ध ताकतें इस समस्या को अपनी समस्या नहीं मान रही हैं। वे बयानबाजी अवश्य करती हैं, लेकिन धनराशि के योगदान के लिए प्रस्तुत नहीं होतीं। जितने योगदान की बात उन्होंने कही है, वह इसकी जरूरत से कहीं कम है। नतीजा यह निकला है कि शून्य उत्सर्जन वाले निवेश का लक्ष्य प्राप्त करने की वार्षिक तिथि लगातार स्थगित हो रही है और अब 2070 तक आ गई है, जबकि यह काम बहुत पहले सामूहिक रूप से सबके द्वारा शुरू हो जाना चाहिए था।

इसलिए गैस उत्सर्जन के एकमात्र गुनहगार ग्लोबल साउथ के देश ही नहीं हैं, वे समृद्ध देश भी तो हैं, जिन्होंने अपनी-अपनी औद्योगिक क्रांति के समय गैस उत्सर्जन से यह संकट पैदा किया। अब इसके परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। तीसरी दुनिया के देश ही इस लड़ाई को पूरी तरह नहीं लड़ सकते, चाहे औपचारिक रूप से भारत इसका नेतृत्व संभालने के लिए तैयार है। सच यही है कि अपना स्वार्थ छोड़कर अमेरिका और अन्य पश्चिमी समृद्ध देशों को भी इस लड़ाई में पूरी शक्ति के साथ शामिल होना पड़ेगा। याद रखिए, गर डूबेगी कश्ती तो डूबेंगे सारे। इसलिए जरूरत है कि इस समय सभी देश अपनी पूरी आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार इस प्रदूषण से पैदा प्राकृतिक विकृति को और न बढ़ने दें। पिछले कुछ वर्षों से स्थगित होती इस लड़ाई को कम से कम अब शुरू कर दिया जाए।

मुश्किलों के डेटा सेंटर

आज चारों तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हौवा नजर आता है, जिसके लिए मानव की नैसर्गिक प्रतिभा और जीवन के जरूरी अवयवों को नजरअंदाज किया जा रहा है। माना कि एआई के विस्तार से आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा हो रहे हैं, जिसके लिए डेटा सेंटरों का तेजी से अंधाधुंध विस्तार हो रहा है। वहीं दूसरी ओर, अमेरिका, यूरोप और भारत में इनके खिलाफ बढ़ता विरोध एक अहम चेतावनी भी है। निस्संदेह, तकनीकी प्रगति होनी चाहिए, लेकिन इसकी कीमत समाज और पर्यावरण को नहीं चुकानी चाहिए। अमेरिका में हालिया मध्यावधि चुनावों में डेटा सेंटर परियोजनाओं को लेकर लोगों का गुस्सा भी सामने आया है। वास्तव में, दुनिया भर के लोग डेटा सेंटरों को चलाने में इस्तेमाल होने वाली भारी-भरकम बिजली और पानी के बेतहाशा इस्तेमाल को लेकर नाराज हैं। वे स्थानीय संसाधनों पर पड़ने वाले इनके नकारात्मक प्रभावों को लेकर चिंतित हैं। यही वजह है कि अमेरिका के टेक्सास में पानी की घटती आपूर्ति को लेकर किसानों का गुस्सा वहां एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। कमोबेश ऐसा ही गुस्सा अमेरिका के अन्य राज्यों और कुछ यूरोपीय देशों में भी देखने को आ रहा है। इस विरोध का संदेश साफ है कि लोग अब उन बड़े फैसलों पर अपनी राय रखना चाहते हैं, जिनका असर उनके जीवन पर सीधा पड़ता है। इसी तरह, भारत में भी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्य आज इस मुद्दे को लेकर अहम मोड़ पर खड़े नजर आते हैं।

निस्संदेह, बड़े डेटा सेंटर प्रस्ताव निवेश की महत्वाकांक्षी पहल के साथ डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत कर सकते हैं। इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। लेकिन इसके बावजूद कंपनियों को संसाधनों के प्रबंधन के जवाबदेह तौर-तरीकों को प्राथमिकता देनी चाहिए। हर डेटा सेंटर परियोजना में तीन मुख्य पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए, जिनमें व्यापार, समुदाय और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाया जाए। कंपनियों को ऊर्जा की खपत कम करने वाली तकनीकों, नवीकरणीय ऊर्जा और टिकाऊ कूलिंग सिस्टम को प्राथमिकता देनी चाहिए। वहीं, कम-से-कम पानी की खपत करने वाली तकनीकों में निवेश करना चाहिए। आंध्र प्रदेश के भोगापुरम में हालिया स्थानीय निकाय चुनावों में दो किसान जीते, जिसकी मुख्य वजह यह थी कि डेटा सेंटरों को लेकर उनकी चिंताएं मतदाताओं को तार्किक लगीं। किसी भी परियोजना को मंजूरी मिलने से पहले वहां के निवासियों को संसाधनों की खपत, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव और परियोजना से होने वाले आर्थिक लाभों की जानकारी दी जानी चाहिए। विकास कार्यों में स्थानीय लोगों को केवल मूकदर्शक मानने के बजाय उनकी अहम हिस्सेदारी होनी चाहिए।

निस्संदेह, डेटा सेंटर भारत के डिजिटल भविष्य को गति देने में योगदान कर सकते हैं। लेकिन इनकी सफलता को केवल निवेश के आंकड़ों या कंप्यूटिंग क्षमता से ही नहीं मापा जा सकता। वास्तव में, यह देखा जाना चाहिए कि स्थानीय लोगों को कितने रोजगार मिले, वहां कितने संसाधनों की बचत की गई और इससे स्थानीय समुदायों को कितना संबल मिला। सही मायने में, किसी भी विकास का लाभ सभी हितधारकों को मिलना चाहिए, न कि केवल बड़ी तकनीकी कंपनियों को।

मंजूरी में अटकीं विकास परियोजनाएं

पीयूष गोयल ने दी जानकारी, महाराष्ट्र सरकार के प्रस्तावों की हो रही समीक्षा

भाईंदर. मीरा-भाईंदर शहर के विकास की रफ्तार पर केंद्र सरकार के नमक (सॉल्ट) विभाग की मंजूरी का इंतजार भारी पड़ रहा है. नमक विभाग की 81.42 हेक्टेयर (8,14,172 वर्ग मीटर) जमीन मीरा-भाईंदर महानगरपालिका को हस्तांतरित नहीं होने से करीब 87 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं अटकी हुई हैं. इनमें सड़क, रेलवे फ्लाईओवर, स्टेडियम, बस डिपो, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और उद्यान जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं. इस मामले में अब केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सांसद डॉ. हेमंत विष्णु सावरा को पत्र लिखकर बताया है कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्तावों की विभाग में मौजूदा नियमों के अनुसार जांच की जा रही है. निर्णय की जानकारी जल्द ही राज्य सरकार को दी जाएगी. हालांकि, पत्र में जमीन हस्तांतरण की कोई निश्चित समयसीमा नहीं बताई गई है. गोयल ने 4 अगस्त 2026 को सांसद डॉ. सावरा की ओर से भेजे गए पत्र के संदर्भ में यह जवाब दिया है. उन्होंने माना कि सड़क संपर्क बेहतर बनाने और नागरिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाली ये परियोजनाएं सतत शहरी विकास और नागरिकों के जीवनस्तर में सुधार के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं. मनपा प्रशासन ने शहर की बढ़ती आबादी और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए विकास योजना में नमक विभाग की जमीन पर कई सार्वजनिक सुविधाएं प्रस्तावित की हैं. केंद्र सरकार की 2024 की नीति के तहत राज्य के नगर विकास विभाग के माध्यम से 28 अक्टूबर 2025 को आवश्यक गारंटी और प्रमाणित दस्तावेजों के साथ जमीन हस्तांतरण के 13 प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे गए थे.

इन परियोजनाओं पर लगा है ब्रेक

केंद्र की ओर से मांगे गए अतिरिक्त दस्तावेज भी उपलब्ध करा दिए गए, लेकिन अब तक जमीन हस्तांतरण पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है. लंबित प्रस्तावों में मीरा रोड को पूर्व-पश्चिम से जोड़ने वाला रेलवे फ्लाईओवर और लिंक रोड, मीरा रोड पूर्व में 30 मीटर चौड़ी समानांतर सड़क, भाईंदर स्टेशन क्षेत्र की 30 और 18 मीटर चौड़ी सड़कें तथा घोड़बंदर-जैसल पार्क के बीच 60, 30 और 18 मीटर चौड़ी सड़कें शामिल हैं. इसके अलावा डोंगरी-कुंभरडी-खोपरा सड़क और उत्तन चौक-जंजीरे स्थित धारावी किला क्षेत्र से नेताजी सुभाष चंद्र बोस मैदान के पीछे होते हुए डोंगरी तक प्रस्तावित 30 मीटर चौड़ी सड़क भी प्रभावित है.

सांसदों की पहल के बाद भी इंतजार

सार्वजनिक सुविधाओं में भाईंदर पश्चिम का आरक्षण क्रमांक 91 स्थित स्टेडियम, आरक्षण क्रमांक 57 का बस डिपो, भाईंदर पश्चिम की सीवेज परियोजना और विभिन्न वार्डों के उद्यान शामिल हैं. नमक विभाग की जमीन पर बसी झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास का प्रस्ताव भी अंतिम मंजूरी के लिए उपायुक्त के पास भेजा गया है. इस मुद्दे को लेकर ठाणे लोकसभा क्षेत्र के सांसद नरेश म्हस्के ने सितंबर 2024 में संसद के शून्यकाल और नियम 377 के तहत आवाज उठाई थी. उन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से पत्राचार कर जमीन मनपा को हस्तांतरित करने की मांग भी की थी. इसके बावजूद अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका है. अब केंद्रीय मंत्री के ताजा जवाब से उम्मीद जगी है कि प्रस्तावों की जांच पूरी होने के बाद जमीन हस्तांतरण का रास्ता साफ हो सकता है. हालांकि, जब तक जमीन मनपा के कब्जे में नहीं आती, तब तक शहर की करीब 87 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं को धरातल पर उतारना मुश्किल बना रहेगा.

मीरा-भायंदर में अवैध शेयरिंग टैक्सियों का बोलबाला पुलिस और आरटीओ की चुप्पी पर उठे गंभीर सवाल!

मीरारोड : मीरा-भायंदर शहर में यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अवैध यात्री परिवहन का गोरखधंधा चरम पर पहुंच गया है। शहर के प्रमुख चौराहे जैसे काशीमीरा जंक्शन, वर्सोवा ब्रिज और गोल्डन नेस्ट सर्कल अब अवैध 'राइडशेयर' वाहनों के अघोषित और स्थायी पिकअप पॉइंट बन चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि इस अवैध धंधे में केवल सफेद नंबर प्लेट वाले निजी वाहन ही नहीं, बल्कि कई टूरिस्ट परमिट वाली टैक्सियां भी शामिल हैं, जो परमिट शर्तों का उल्लंघन कर धड़ल्ले से शेयिरंग में सवारियां भर रही हैं। ये वाहन चालक यात्रियों को मुंबई, ठाणे, विरार और गुजरात की ओर ले जा रहे हैं।

लूट का डर, बीमा कवच भी नहीं

सस्ते और त्वरित सफर के लालच में आम नागरिक अनजान चालकों के साथ बैठकर अपनी जान और माल दोनों जोखिम में डाल रहे हैं। इन वाहनों के चालकों के पास न तो कोई वैध व्यावसायिक बैज होता है और न ही पुलिस द्वारा इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड या वेरिफिकेशन जांचा जाता है। गौरतलब है कि पूर्व में ठाणे-घोड़बंदर मार्ग पर ऐसी ही अवैध शेयिरंग कारों में यात्रियों को बंधक बनाकर लूटपाट और मारपीट करने की गंभीर घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसके बावजूद प्रशासन की ढिलाई से अपराध की आशंका फिर गहराने लगी है। इसके अलावा, निजी वाहनों में सफर करने पर दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों को किसी प्रकार का बीमा मुआवजा भी नहीं मिलता। स्थानीय परिवहन संगठनों और नागरिकों का आरोप है कि यातायात पुलिस और आरटीओ अधिकारियों की नाक के नीचे यह अवैध कारोबार फल-फूल रहा है। बार-बार शिकायतों के बावजूद ठोस कार्रवाई न होने से प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

क्या कहता है मोटर वाहन कानून?

मोटर वाहन अधिनियम की धारा ६६ के तहत बिना वैध परमिट किसी भी वाहन का व्यावसायिक यात्री परिवहन के लिए उपयोग गैरकानूनी है। इसके अलावा, टूरिस्ट परमिट वाली टैक्सियों द्वारा अलग-अलग स्थानों से फुटकर सवारियां भरना भी परमिट नियमों का सीधा उल्लंघन है। अधिनियम की धाराओं के तहत बिना परमिट या परमिट शर्तों के विरुद्ध वाहन चलाने पर पहली बार में ६ महीने तक की जेल और १० हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है, जबकि दोबारा पकड़े जाने पर १ साल तक की कैद और वाहन जब्ती हो सकती है।

कैंसर अस्पताल सहित पशु चिकित्सालय 9 प्रस्ताव मंजूर अभय योजना से पुराने भवनों को राहत

मीरा भाईंदर, : मीरा भाईंदर शहर के महासभा में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चली आम बैठक में स्वास्थ्य, पर्यावरण, जलापूर्ति, आवास और विकास से जुड़े नौ प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इनमें कैंसर अस्पताल के निर्माण खर्च को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, बिना अधिभोग प्रमाणपत्र (ओसी) वाले भवनों के लिए अभय योजना, पुराने भवनों के स्व-पुनर्विकास को राहत और शहर में पशु चिकित्सालय व डॉग शेल्टर बनाने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं. इसके अलावा, संपत्तियों के विशेष सर्वेक्षण से मनपा का राजस्व बढ़ाने और पानी की बर्बादी रोकने के लिए आईओटी आधारित स्मार्ट तकनीक लागू करने का भी रास्ता साफ हुआ है.

बिना अधिभोग प्रमाणपत्र (ओसी) वाले भवनों के लिए अभय योजना लागू करने को मंजूरी दी गई. इसके माध्यम से ऐसे भवनों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत ओसी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा. इसके साथ ही पुराने भवनों का स्व-पुनर्विकास करने वाले आवासीय परिसरों को विभिन्न शुल्कों में रियायत देने का निर्णय लिया गया. इस फैसले से वर्षों से ओसी की समस्या झेल रहे भवनों और पुनर्विकास की राह देख रही सोसायटियों को राहत मिलने की उम्मीद है.

मनपा क्षेत्र की उन संपत्तियों का सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया, जो अब तक महानगरपालिका के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हैं या जिन पर संपत्ति कर नहीं लगाया गया है. इसमें नई, विस्तारित और पुरानी सभी प्रकार की संपत्तियां शामिल होंगी. इसके लिए 31 दिसंबर 2026 तक विशेष अभियान चलाया जाएगा. सर्वेक्षण के बाद पात्र संपत्तियों को कर के दायरे में लाया जाएगा. इससे मनपा के राजस्व में वृद्धि होने की संभावना है. बढ़ी हुई आय का इस्तेमाल सड़क, जलापूर्ति और अन्य बुनियादी विकास कार्यों के लिए किया जा सकेगा. मीरा-भाईंदर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त अलग पशु चिकित्सालय स्थापित करने को मंजूरी दी गई. यहां पालतू जानवरों के साथ आवारा कुत्तों, घायल पशुओं और पक्षियों को भी उपचार उपलब्ध कराया जा सकेगा.

एसटी में 13,980 चालक-कर्मचारियों की होगी भर्ती ठगी करने वाली निजी संस्थाओं पर दर्ज होंगे मामले

मुंबई,: एसटी में जल्द ही करीब 13,980 चालक और तकनीकी कर्मचारियों की ठेका के आधार पर भर्ती की जाएगी. इस भर्ती प्रक्रिया के नाम पर बेरोजगार युवाओं से पैसे ऐंठने वाली निजी संस्थाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. परिवहन मंत्री व एसटी प्रताप सरनाईक ने ऐसी महामंडल के अध्यक्ष संस्थाओं की पहचान कर उनके खिलाफ तत्काल आपराधिक मामले दर्ज करने के निर्देश भी दे दिए हैं. एसटी महामंडल के नाम का दुरुपयोग कर कुछ निजी संस्थाएं जरूरतमंद और बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाने का झांसा दे रही हैं. शिकायतें मिली हैं कि ये संस्थाएं नौकरी का लालच देकर युवाओं से अवैध रूप से पैसे वसूल रही हैं. नौकरी की उम्मीद में इन पर भरोसा करने वाले युवाओं को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. ऐसे मामलों से महामंडल की छवि भी खराब हो रही है. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने स्पष्ट किया है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और निर्धारित नियमों के अनुसार होनी चाहिए. बाहरी एजेंसी के माध्यम से होने वाली उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया महामंडल द्वारा तय पात्रता मानदंडों के आधार पर ही पूरी की जाए. साथ ही किसी भी उम्मीदवार के साथ धोखाधड़ी न हो, इसकी जिम्मेदारी एसटी प्रशासन सुनिश्चित करे.

सुरक्षा व सतर्कता विभाग करेगा जांच

मंत्री सरनाईक ने एसटी महामंडल के नाम पर चल रहे अवैध गतिविधियों की सुरक्षा व सतर्कता विभाग के माध्यम से गहन जांच कराने के निर्देश दिए हैं. नौकरी के नाम पर उम्मीदवारों को ठगने वाली निजी संस्थाओं और उनसे जुड़े लोगों की पहचान कर दोषियों के खिलाफ तत्काल आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की गलत गतिविधियों के कारण एसटी महामंडल की जनता के बीच विश्वसनीयता प्रभावित होना गंभीर मामला है. बेरोजगार युवाओं की उम्मीदों और भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर रोक लगाना बेहद जरूरी है.

उम्मीदवारों के हितों की सुरक्षा को प्राथमिकता

मंत्री सरनाईक ने चेतावनी दी है कि भर्ती के नाम पर बेरोजगार युवाओं से आर्थिक लूट करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के साथ उम्मीदवारों के हितों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी.

29 साल के बिल्डर राज का खुलेगा कच्चा चिट्ठा!

1997 से अब तक के निर्माण परमिशन और टीडीआर दस्तावेजों की होगी जांच

भायंदर : मीरा-भायंदर महानगरपालिका क्षेत्र में दस्तावेजों की हेरफेर कर सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों और चुनिंदा बिल्डरों की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग ने शहर में वर्ष १९९७ से लेकर अब तक जारी की गई निर्माण अनुमतियों और विकास अधिकार प्रमाणपत्रों (डीआरसी) से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच करने का बड़ा फैसला लिया है। विभाग के इस सख्त रुख से अनियमितता बरतने वाले डेवलपर्स में हड़कंप मच गया है। ठाणे जिला के सह-जिला निबंधक वर्ग-१ एवं मुद्रांक जिलाधिकारी शशिकांत गायकवाड ने हाल ही में मनपा आयुक्त को एक आधिकारिक पत्र भेजा है। पत्र में नगर रचना विभाग द्वारा १९९७ से जारी किए गए निर्माण मामलों में संपत्ति के मालिकाना हक, विकास अधिकारों के हस्तांतरण (टीडीआर) और अन्य समझौतों की प्रतियां उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

सूत्रों के अनुसार विभाग को संदेह है कि कई मामलों में संबंधित पक्षों के बीच हुए लेन-देन और करारों पर महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, १९५८ के तहत उचित स्टांप शुल्क नहीं भरा गया है, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है। गौरतलब है कि इससे पहले भी वर्ष २०२१ और २०२२ के दौरान मनपा के नगर रचना विभाग ने लगभग ६४२ विकास अधिकार प्रमाणपत्रों की फाइलें बकाया स्टांप शुल्क और जुर्माना वसूली के लिए मुद्रांक विभाग को भेजी थीं। अब श्री अमोल रकवी द्वारा १२ नवंबर २०२६ को की गई ई-मेल शिकायत के बाद विभाग ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए पिछले करीब तीन दशकों (१९९७ से) का पूरा रिकॉर्ड तलब किया है। मुद्रांक जिलाधिकारी की इस कार्रवाई से सरकारी राजस्व को चूना लगाने वालों की नींद उड़ गई है। जांच में दोषी पाए जाने वालों से भारी जुर्माने के साथ बकाया स्टाम्प शुल्क की वसूली की जाएगी।

लाखों प्रतियों की जांच, कार्रवाई या उगाही का नया पैंतरा?

दूसरी ओर, २९ वर्षों की लाखों प्रतियों की जांच के इस पैसले ने नई चर्चा छेड़ दी है। पिछले कुछ वर्षों में टीडीआर घोटाले और इससे जुड़े राजनीतिक नेताओं पर लगे आरोपों के कई मामले पहले ही सामने आ चुके हैं। जानकारों के बीच यह आशंका भी जताई जा रही है कि यह कवायद वाकई दोषियों पर सख्त कार्रवाई के लिए है या फिर उगाही का एक और नया पैंतरा साबित होगी।

जैसल पार्क चौपाटी पर उमड़ा आस्था का सैलाब

डूबते सूर्यदेव को दिया गया अर्घ्य

मीरा-भाईंदर. लोक आस्था और सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर रविवार शाम भाईंदर पूर्व स्थित जैसल पार्क चौपाटी पर भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा. हजारों व्रतियों ने जल में खड़े होकर अस्ताचलगामी सूर्यदेव को अर्घ्य दिया और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की. छठी मैया के जयकारों से पूरा घाट गूंज उठा. बिहारी छठ पूजा संस्था पिछले 26 वर्षों से यहां भव्य आयोजन कर रही है. संस्था द्वारा घाट की साफ-सफाई, टेंट, सांस्कृतिक कार्यक्रम और महाभंडारे की व्यवस्था की गई. संस्थापक अमर झा, अध्यक्ष शंकर झा, उपाध्यक्ष कपिल झा, महासचिव नवीन झा और कोषाध्यक्ष राजीव प्रियदर्शी का इसमें विशेष योगदान रहा. शहर के 9 प्रमुख घाटों भाईंदर पश्चिम एसटी डिपो, जैसल पार्क चौपाटी, नवघर नया तालाब, आनंद दिघे मैदान, शिवार गार्डन, पेनकरपाड़ा साईदत्त तालाब, मीरागांव सातकरी तालाब और जरी-मरी तालाब पर छठ की धूम रही. शिवार गार्डन में विक्रम प्रताप सिंह ने विशेष प्रबंध किए.



मीरा-भाईंदर में अब वृक्षों पर कुल्हाड़ी चलाना आसान नहीं
वृक्षों की छंटाई, पुनर्रोपण पर भी लगेगा शुल्क

मीरा भाईंदर. मीरा भाईंदर में अब वृक्षों पर कुल्हाड़ी चलाना आसान नहीं होगा. वृक्षों की कटाई, छंटाई और पुनर्रोपण के लिए मनपा ने नई दरें तय कर दी हैं. शुक्रवार को हुई आमसभा में भाजपा ने वृक्ष संरक्षण की नई नीति को बहुमत से मंजूर कर लिया गया. इसके तहत पौधारोपण की अनिवार्यता के साथ सुरक्षा जमा, वृक्ष निधि और निरीक्षण शुल्क भी वसूला जाएगा. प्रस्ताव पर सदन में कांग्रेस ने आपत्ति जताई.

पेड़ काटने के बदले पौधा लगाना अनिवार्य

नगरसेवक अनिल सावंत ने प्रस्ताव का गोषवारा उपलब्ध नहीं होने का मुद्दा उठाते हुए इसके विरोध में दूसरा प्रस्ताव पेश किया. एक ही विषय पर दो प्रस्ताव आने से मतदान कराया गया, जिसमें भाजपा का प्रस्ताव बहुमत से पारित हुआ. आवासीय परिसरों में एक पेड़ काटने पर 6 फीट ऊंचा भारतीय प्रजाति का पौधा लगाना होगा. जगह नहीं होने पर प्रति पेड़ 1,500 रुपये नॉन रिफंडेबल वृक्ष निधि जमा करनी होगी. पुनर्रोपण के लिए भी 6 फीट ऊंचा पौधा लगाना अनिवार्य है. इसके लिए 5,000 रुपये सुरक्षा जमा देनी होगी. पौधे की तीन साल तक हर छह महीने में स्थिति रिपोर्ट देनी होगी. पौधा स्वस्थ रहने पर जमा राशि वापस मिलेगी. विकास कार्यों में पेड़ काटने के बदले 6 फीट ऊंचा भारतीय प्रजाति का पौधा लगाना होगा. इसके लिए प्रति पेड़ 10,000 रुपये सुरक्षा जमा निर्धारित की गई है.

वृक्ष निधि तय की गई

जगह उपलब्ध नहीं होने पर 25,000 रुपये प्रति पेड़ नॉन रिफंडेबल वृक्ष निधि देनी होगी. पुनर्रोपण के मामले में 6 से 8 फीट ऊंचा पौधा लगाना होगा. इसके लिए भी 10,000 रुपये सुरक्षा जमा और जगह नहीं होने पर 25,000 रुपये वृक्ष निधि तय की गई है.

छंटाई करने पर भी प्रति पेड़ 1,000 रुपये वृक्ष निधि देना होगा

निजी परिसरों में अनुमति लेकर पेड़ों की छंटाई करने पर प्रति पेड़ 1,000 रुपये वृक्ष निधि देनी होगी. छंटाई के बाद निकली शाखाएं हटाने के लिए सोसायटी या नागरिकों से 500 रुपये प्रति पेड़ वसूले जाएंगे. मनपा कर्मचारियों द्वारा खतरनाक पेड़ जड़ सहित हटाने का शुल्क ऊंचाई और परिधि के आधार पर तय किया गया है.

20 फीट तक ऊंचाई और 1 फीट तक परिधिः 2,400 रुपये

20 से 35 फीट ऊंचाई और 1 से 2.50 फीट परिधिः 5,400 रुपये

35 से 50 फीट या अधिक ऊंचाई और 2.50 फीट से अधिक परिधिः 11,200 रुपये

निरीक्षण के भी देने होंगे पैसे

पेड़ काटने, पुनर्रोपण और छंटाई के निरीक्षण के लिए प्रति पेड़ 300 रुपये शुल्क देना होगा. नई नीति के जरिए मनपा ने पेड़ों की कटाई और छंटाई पर आर्थिक नियंत्रण लगाने के साथ पौधारोपण की जिम्मेदारी भी नागरिकों और विकासकों पर तय कर दी है.

आर्ट गैलरी पर अब जागा मनपा प्रशासन संचालन के लिए निकलेगा टेंडर

भाईंदर : 120 करोड़ रुपये से अधिक खर्च, भव्य उद्घाटन और अत्याधुनिक सुविधाओं के बावजूद एक साल से जनता के लिए बंद पड़ी स्वर्गीय बालासाहेब ठाकरे आर्ट गैलरी को अब खोलने की कवायद तेज हो गई है. हाल ही में संपन्न हुई मनपा की आमसभा में भाजपा ने बहुमत से इसके संचालन के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव पारित कराया. साथ ही, निर्माण कार्य में कथित भ्रष्टाचार की जांच का भी फैसला लिया गया. भाईंदर पूर्व के गोल्डन नेस्ट क्षेत्र में निर्मित इस दो मंजिला आर्ट गैलरी का उद्देश्य शहर के कलाकारों और नागरिकों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए मंच उपलब्ध कराना है. यहां अत्याधुनिक गेम जोन, थिएटर और बालासाहेब ठाकरे की जीवनी सहित कई सुविधाएं विकसित की गई हैं. एक साल पहले उद्घाटन के बावजूद सालाना करोड़ों रुपये के संभावित संचालन खर्च के चलते इसे जनता के लिए नहीं खोला गया.



सरनाईक ने मनपा की आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर अपने निजी खर्च से 10 लाख प्रतिमाह देने की पेशकश की थी. आमसभा में नगरसेवक दिनेश जैन ने निर्माण कार्य में कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए जांच की मांग की. संचालन के लिए टेंडर जारी करने और निर्माण कार्य की जांच कराने का प्रस्ताव बहुमत से पारित हुआ. शिवसेना की ओर से जांच के लिए समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा गया था, पर उसे बहुमत नहीं मिला. दिनेश जैन ने विकास के लिए राज्य सरकार से 3,000 करोड़ रुपये आवंटित होने के सरनाईक के दावे पर भी सवाल उठाए. प्रशासन ने 1,200 करोड़ रुपये की मंजूरी और 250 करोड़ रुपये प्राप्त होने की जानकारी दी.

दैनिक यात्रियों की जेब पर बढ़ा बोझ
भाईंदर में शेयर रिक्शा का किराया 25% बढ़ा

भाईंदर : भाईंदर पश्चिम रेलवे स्टेशन परिसर से चलने वाले शेयर ऑटो रिक्शा का किराया 25% बढ़ा दिया गया है. रिक्शा चालक संघ ने विभिन्न स्टॉप पर नए किराये के बोर्ड लगा दिए हैं, जिससे पहले 12 रुपये में मिलने वाला सफर अब 15 रुपये का हो गया है. मीरा भाईंदर में 15 हजार से अधिक ऑटो रिक्शा चलते हैं. भाईंदर पश्चिम में आरटीओ द्वारा निर्धारित रूटों पर शेयर रिक्शा सेवा संचालित होती है. चार साल बाद यानी दिसंबर 2022 के बाद यह पहली बार किराया बढ़ाया गया है. इससे नौकरीपेशा लोगों, विद्यार्थियों और आम यात्रियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है. पूर्व नगरसेवक ओमप्रकाश अग्रवाल ने इस बढ़ोतरी पर आपत्ति जताई है. उन्होंने आरोप लगाया कि एक ही रिक्शा में परिवार के तीन सदस्य बैठने पर भी चालकों द्वारा मीटर के बजाय प्रति व्यक्ति अलग-अलग किराया वसूला जा रहा है.



शैक्षणिक सामग्री और जरूरतमंदों को राशन बांटा
आदिवासी परिवारों संग सरनाईक ने मनाई दिवाली

भायंदर : परिवहन मंत्री एवं धाराशिव जिले के संरक्षक मंत्री प्रताप सरनाईक ने अपने परिवार के साथ ओवला - माजीवा ड़ा विधानसभा क्षेत्र के घोड़बंदर रोड स्थित पानखंडा में आदिवासी परिवारों और खेतिहर मजदूरों के साथ दीपोत्सव मनाया. इस दौरान सरनाईक ने आदिवासी परिवारों से संवाद किया. नगरसेवक परिषा प्रताप सरनाईक ने आदिवासी कलाकारों के साथ पारंपरिक तारपा नृत्य किया. कार्यक्रम में विद्यार्थियों को शैक्षणिक सामग्री और जरूरतमंद परिवारों को दिवाली का राशन वितरित किया गया. इसके बाद सभी ने साथ बैठकर दिवाली के पकवानों का आनंद लिया. प्रताप सरनाईक ने कहा कि दिवाली की असली खुशी समाज के हर वर्ग के साथ खुशियां बांटने और जरूरतमंदों के चेहरों पर मुस्कान लाने में है.

जल संकट के बीच मीरा-भाईंदर में अनोखी पहल
दीपोत्सव पर दिया गया जल संरक्षण का संदेश

मीरा-भाईंदर : राज्य में गहराते सूखे के हालात और पानी की किल्लत के बीच मीरा-भाईंदर के पेनकरपाड़ा में इस बार की दिवाली बेहद खास रही. यहां के स्थानीय नागरिकों ने उत्सव के उल्लास को सामाजिक सरोकार से जोड़ते हुए एक प्रेरणादायक मिसाल पेश की है. पेनकरपाड़ा गांव स्थित ऐतिहासिक आई निरबादेवी मंदिर परिसर में आयोजित भव्य दीपोत्सव में 10 हजार से अधिक दीप प्रज्वलित किए गए, जिनकी रोशनी से पूरा इलाका जगमगा उठा. इस भव्य आयोजन का मुख्य आकर्षण दीयों से उकेरी गई 70 फीट की एक विशाल प्रतिकृति (आकृति) रही. इस कलाकृति के जरिए समाज को जल संरक्षण, भू-जल स्तर बढ़ाने और पानी के किफायती इस्तेमाल करने का संदेश दिया गया. पिछले पांच वर्षों से दिवाली पड़वा के पावन अवसर पर यहां लगातार इस दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है. इस वर्ष भी रोशनी के इस पर्व को पर्यावरण संरक्षण और जल सुरक्षा की जिम्मेदारी से जोड़ते हुए नागरिकों ने बढ़-चढ़कर सामूहिक भागीदारी निभाई. दीपों की अद्भुत जगमगाहट के बीच आयोजित इस उत्सव ने न केवल पारंपरिक दिवाली की खुशियां और उत्साह बांटा, बल्कि आज के जल संकट के दौर में पानी की हर एक बूंद के मूल्य को भी बेहद प्रभावी तरीके से समझाया. इस अनूठी पहल की पूरे मीरा-भाईंदर क्षेत्र में सराहना हो रही है.

आयुष्मान कार्ड बनाने में धीमी रफ्तार

मुंबई : मुंबई में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किए गए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड अभियान की रफ्तार धीमी नजर आ रही है. बीएमसी के 100 दिवसीय अभियान के शुरुआती 33 दिनों में महज 39,032 आयुष्मान कार्ड बनाए जा सके हैं. बीएमसी के 26 प्रशासनिक वार्डों में केवल एक वार्ड ही निर्धारित लक्ष्य को पार कर पाया है. इससे अभियान की जमीनी स्तर पर हो रही प्रगति पर सवाल उठ रहे हैं. 'मुंबई डीजी हेल्थ कनेक्ट' अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2026 को हुई थी. इसके तहत पात्र नागरिकों के आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड बनाए जा रहे हैं. सी वार्ड ने 104.7 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर सभी वार्डों में अपनी उपलब्धि दर्ज की है.

यह हिंदी पाक्षिक मालक, मुद्रक, प्रकाशक संजय डी. राय द्वारा ओम साई प्रिंटर्स, न्यू जय अम्बे एस्टेट, यूनिट नं. 7, ओल्ड सिंडिकेट बैंक के सामने, एचपी गैस गोडाऊन के पीछे, गोडदेव फाटक रोड, भाईदर (पूर्व) - 401 105 से मुद्रित कर 116 डी विंग, तुलसी छाया बिल्डिंग, नवघर क्रॉस तलाव रोड, भाईदर (पूर्व), जिला ठाणे 401 105 (महाराष्ट्र) यहां से प्रकाशित किया। इस समाचार पत्र में प्रकाशित सभी समाचारों से संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है। किसी भी विवाद का निपटारा मा. ठाणे न्यायालय के अधिन होगा। संपादक : संजय डी. राय, मोबाइल- 9967935711 / email: bhayandersun@gmail.com